रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2015/माघ 29, 1936
No. 404] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2015/MAGHA 29, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

संशोधन

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2015

का.आ 564(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (**1956 का 48**)की **धारा** 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2705 (अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंण्ड 3, उप–खंण्ड (ii) में तारीख 20 **अक्तूबर**, 2014, में प्रकाशित की गई थी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित अधिसूचना प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

"केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अथिनियम कहा गया है) की धारा की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3717(अ), तारीख 18.12.2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **II**, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 355/000 कि.मी. से 356/400 कि.मी. और 357/300 कि.मी. से 380/600 कि.मी. (चिल्कलूरिपेट – विजयवाड़ा सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन / छह लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 04.01.2014 को "साक्षी" और "द हिंदु" दो में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।"

[फा. सं. भाराराप्रा/15021/6-लेन/बिऔटी/2013/पिआईयूं-विजयवाड़ा]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का.आ. 2705(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2014, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **II**, खंण्ड 3, उप-खंण्ड (ii) तारीख 20 अक्तूबर, 2014 में प्रकाशित की गई थी!

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.